न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 122/19 निर्णय दिनांकः–23–12–2019
(आरसीएमसएस संख्या 2019/00189)

1. उदमीराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी ग्राम कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगलन

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–03–1976
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25–03–1976 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष वर्ष 1976 में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 18–03–1976 को अपीलांट को 16 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि का पात्र धोषित करते हुए दिनांक 25–03–1996 को चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 162/4 के किला नम्बर 1, 2, 7 ता 14, 19 ता 21 तादादी 13 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। परन्तु उक्त भूमि का चक व मुरब्बा नम्बर पटवार

राजस्व अपील अधि... बीकानेर

हल्का के पास नहीं मिलने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि उक्त मुरब्बा नम्बर 162/4 सीएडी के दौरान चक 24 पीकेडी में स्थापित हो चुका था। अपीलांट द्वारा चक 24 पीकेडी में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति लालचन्द पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई को आवंटित होकर खातेदारी दर्ज भूमि है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–1976 के विरूद्व अपील दिनांक 16–07–19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधि. बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–1976 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16–07–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु वर्ष 1976 में प्रार्थना पत्र दिये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 26–02–1976 को अपीलांट को 16 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि हेतु सक्षम मानते हुए दिनांक 25–03–1976 को उपनिवेशन तहसील पूगल में चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 162/4 के किला नम्बर 1, 2, 7 ता 14, 19 ता 21 तादादी 13 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया, परन्तु उक्त भूमि चकों में नहीं मिलने पर अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं सका। अपीलांट द्वारा चकों में परिवर्तन होने की स्थिति की जानकारी संबंधित पटवारी से प्राप्त करने पर पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि चक 24 पीकेडी के रूप में पैमूद होकर अन्य व्यक्ति लालचन्द पुत्र बिरबलराम जाति बिश्नोई ग्राम माडिया तहसील नोखा को आवंटित होकर उनके नाम खातेदारी दर्ज भूमि है।

इस प्रकार अपीलांट/आवेदक के आवंटन को इतने साल तक इंतजार में रखा गया तथा उसके अविधिक आवंटन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् आगामी वर्षो तक उसके आवंटन का अमलदरामद या खारिज करने की कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक के साथ आवंटन अधिकारियों का कूर मजाक है। जिस आवंटन आदेश की आगामी वर्षो तक कियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक अदालत मातहत द्वारा खारिज नहीं किया गया नाही अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि का आवंटन ही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–03–1976 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पूर्व आवंटन की क्रियान्विती की जॉच की जाकर पूर्व आवंटन प्रभावी नहीं पाये जाने पर अपीलांट की सक्षमता के अनुसार नये सिरे से आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामतरन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 16:29:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: